

Instructions : e-Court fees receipt

1. Please keep records of all the eCourt fee receipt numbers.
2. e-Court fee receipt of any denomination can be obtained from the counter.
3. Please keep e-Court fee receipt safely till it is used & locked.
4. Court Officials will lock the Court fee receipt on presentation so that the same can't be reused.
5. In case e-Court fee is lost, it cannot be blocked and/or re-issued as in the case of physical court fee stamp.
6. e-Court fee would be issued immediately against CASH. Please don't leave the counter without taking e-Court Fee Receipts.
7. e-Court fee receipts can also be issued against payment made through Cheque/DD/Payorder/RTGS/NEFT subject to realisation of funds.
8. Cheque/DD/Payorder to be drawn in favour of "SHCIL E-COURT FEES" . For RTGS/NEFT - A/C Number 0901102000024985, IFSC Code- IBKL000901, MICR Code- 110259029, Beneficiary A/C Name- SHCIL E-COURT FEES, Bank Name - IDBI Bank LTD.
9. Please quote your RTGS/NEFT number along with other required relevant details.
10. For all payments made via Debit/Credit Card, bank charges (if any) will be levied to respective buyer at actuals.

ई-कोर्ट शुल्क सम्बन्धित निर्देश

१. सभी ई-कोर्ट शुल्क रसीदों का अभिलेख रखें।
२. ई-कोर्ट शुल्क रसीद किसी भी मूल्य की, पटल से प्राप्त की जा सकती है।
३. ई-कोर्ट शुल्क की रसीदें प्रयोग होने तक सुरक्षित रखें।
४. न्यायालय कर्मचारी प्रस्तुत की गयी सभी ई कोर्ट शुल्क रसीदों को कम्प्यूटर में लॉक करेगे, जिससे उनका पुनः प्रयोग न किया जा सके।
५. ई-कोर्ट शुल्क रसीद खो जाने की स्थिति में रसीद को बाधित अथवा/और पुनः जारी नहीं किया जा सकेगा, जैसाकि वर्तमान टिकट स्वरूप में भी सम्भव नहीं है।
६. ई-कोर्ट शुल्क रसीद नगद भुगतान होने पर तुरंत जारी की जा सकेगी।
७. ई-कोर्ट शुल्क रसीद चेक/डी.डी./पे-आर्डर/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा हमारे बैंक खाते में शुल्क प्राप्त होने पर ही जारी की जा सकेगी।
८. चेक/डी.डी./पे-आर्डर **"SHCIL E-COURT FEES"** के नाम से जारी करें।
आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.द्वारा भुगतान खाता संख्या **0901102000024985** में करें।
आई.एफ.एस.सी. कोड - **IBKL0000901** एम. आई. सी. आर. कोड **110259029**
खाता धारक का नाम **"SHCIL E-COURT FEES"** बैंक - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
९. ई-कोर्ट शुल्क भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी द्वारा किये जाने की स्थिति में यू.टी.आर. संख्या, बैंक तथा शाखा का नाम अनिवार्य है।
१०. सभी डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान किये जाने पर बैंक द्वारा लगाया गया प्रभार (यदि कोई) का भुगतान सम्बन्धित ग्राहक द्वारा वहन किया जायेगा।